

FORM NO.111

फॉर्म अटकाम

(नियम 26)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर (सीकर)

हरि सिंह बनाम केशरी देवी वगै०

किरम मुकदमा इजराय

मुकदमा नम्बर - 45/2023

करीब हुज्ज

हुज्ज या कार्यवाही मय लघु हस्ताक्षर जज

नम्बर न तारीख  
अटकाम जो हुज्ज  
हुज्ज की तारीख म  
जारी हुय

18.08.2023

वकील डिक्रीदार श्री कानाराम पूनियां एड० ने उपस्थित होकर इजराय प्रार्थना पत्र पेश किया। इजराय दर्ज रजिस्टर की जावे। न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 21.07.2023 की पालना में राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करने हेतु (यदि प्रकरण में किसी अन्य न्यायालय का स्थगन आदेश आदि नहीं हो तो) तहसीलदार श्रीमाधोपुर को तहरीर जारी की जावे। पत्रावली वास्ते प्राप्त होने पालना रिपोर्ट दिनांक 13.09.2023 को पेश हो।

30/9  
18-8-23

दिलीपसिंह

उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर

02.09.2024

पत्रावली तारीख पेशी से गिरकर आज पेश हुई। वकील डिक्रीदार उपस्थित। प्रकरण में कार्यालय हाजा के श्री सौंवरमल यादव भू. अभिलेख निरीक्षक ने अवगत कराया कि ऑनलाईन मिलान करने पर इस न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री की पालना तहसीलदार श्रीमाधोपुर के द्वारा जरिये नामान्ताकरण संख्या 883 दिनांक 26.12.2023 के द्वारा राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद हो चुका है। प्रकरण में आगे कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं है। अतः इजराय पत्रावली को इसी स्तर पर खारीज की जाकर फैसल की जाती है। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफतर हो।

ऑनलाईन मिलान

किया गया।

आदेश की पत्रावली

नम्बर सं. 993

दि. 26.12.23

द्वारा की गयी।

Handwritten signature



Handwritten signature

( अनिल कुमार )

उपखण्ड अधिकारी

श्रीमाधोपुर (नीमकाथाना)